

न्यायालय: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-02, बदायूँ।

फौजदारी वाद संख्या-20699/2022

सरकार

बनाम

श्रीपाल

अन्तर्गत धारा-मोटर वाहन अधिनियम,

संबंधित थाना-TSI, जिला-बदायूँ।

वाहन पंजीयन संख्या- UP24T9937

दिनांक 09.09.2023

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अवलोकन किया।
प्रस्तुत चालान दिनांक 06.05.2021 से संबंधित है।

माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा जारी अध्यादेश संख्या 22/79-
वि०-1-2023-2-क-2-2023 लखनऊ 22 मार्च, 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश दण्ड
विधि (अपराधों का शमन और विपचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम
संख्या-1979 की धारा 9 में उपधारा (2) में शब्द और अंक 31 दिसम्बर 2016 के
स्थान पर शब्द और अंक 31 दिसम्बर 2021 रख दिये जायेंगे। इस प्रकार मोटर
वाहन अधिनियम से संबंधित उक्त चालान की अवधि उपरोक्त अध्यादेश की परिधि
में आता है। उपरोक्त अध्यादेश को दृष्टिगत रखते हुए मोटर वाहन अधिनियम से
संबंधित उक्त चालान उपशमित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित उक्त चालान की
कार्यवाही उक्त अध्यादेश के अनुपालन में उपशमित की जाती है। पत्रावली
नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कक्ष संख्या-02, बदायूँ।